



राजस्थान सरकार  
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांक: प. 4(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2013

जयपुर, दिनांक : 29.04.2020

परिपत्र

**विषय : राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) में सरकारी ई-मेल सिस्टम/सेवाओं (Government e-mail system/service) का उपयोग करने के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.12.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई-प्रोक पोर्टल पर सरकारी ई-मेल सिस्टम/सेवाओं का दिनांक 01.01.2020 तक अनिवार्यतः उपयोग करें। इस हेतु दिनांक 01.02.2020 व 31.03.2020 तक तिथि बढ़ायी गयी थी। उक्त कार्य हेतु तिथि एतद्वारा दिनांक 01.07.2020 तक बढ़ायी जाती है ताकि समस्त नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाएं राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई-प्रोक पोर्टल पर सरकारी ई-मेल सिस्टम/सेवाओं को आदिनांक (updatation) कर सकें।

सार्वजनिक ई-मेल सिस्टम/सेवाएं यथा yahoo/gmail/hotmail/outlook/rediff आदि का उपयोग राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई-प्रोक पोर्टल पर दिनांक 01.07.2020 से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। अतः सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में राज्य लोक उपापन पोर्टल/ई-प्रोक पोर्टल में नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि सरकारी ई-मेल सिस्टम/सेवाओं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के ई-मेल username@rajasthan.gov.in/username@rajasthan.in एवं NIC के ई-मेल username@nic.in का अनिवार्यतः उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

(हेमन्त कुमार गेरा)  
शासन सचिव,  
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।
4. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान सरकार।
5. प्रोजेक्ट समन्वयक एसपीपीपी, एनआईसी, वित्त भवन, जयपुर।
6. समस्त नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाएं।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
8. वित्तीय सलाहकार, वित्त (SPFC) विभाग को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव